आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी0डी0एस0 पुनरीक्षण वाद संख्या –60 / 2023

सकिन्द्र राय

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
25.04.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 6681 / 2022 में दिनांक–17.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा पी0डी0एस0 अपील वाद सं0–06 / 2020–21 में दिनांक 12.03.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2023 को पारित आदेश का अंश है :– **"In case such a revision petition is filed within a period of 30 days, the Revisional Authority shall look into it and after providing reasonable opportunity to the petitioner to present his clause, shall pass the order within the next 60 days, giving reasons in support of the decision arrived at by him."** वाद का सारांश यह है कि भगवानपुर प्रखंड के मझौली पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री सकिन्द्र राय की दुकान की जाँच दिनांक 28.09.2018 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भगवानपुर के द्वारा की गई एवं जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर को समर्पित किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दुकान के संचालन में ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' का उल्लंघन तथा विक्रेता के परिजनों के उकसाने पर स्थानीय लोगों द्वारा जाँच दल में शामिल	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पदाधिकारीयों के साथ दुर्व्यवहार एवं जाँच कार्य बाधित करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत सराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी में निम्न अनियमितताएँ उल्लेखित की गयी :–

(i) बिना नाम प्रविष्टि किए हुए किरासन तेल का वितरण पंजी में दर्ज था, जिसमें प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर नहीं था, जिससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा फर्जी प्रविष्टि कर किरासन तेल उठाव कर कालाबाजारी कर दी गई है।

(ii) किरासन तेल की तीन–तीन पंजीयाँ पाई गई, जिनमें से दो पंजीया बिना किसी सक्षम प्राधिकार से सत्यापित कराए हुए उपयोग में लाई जा रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा धोखा–धड़ी कर अवैध पंजी पर वितरण किया जा रहा था।

(iii) विक्रेता के दुकान पर 07 (सात) उपभोक्ताओं के राशन कार्ड भी पाया गया, जो ज0वि0प्र0 (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(iv) विक्रेता के गादाम में 68 (अरसठ) बोरा में 34 (चौंतीस) क्वीं0 गेहूँ तथा 115 (एक सौ पंद्रह) बोरा में 57.5 क्वीं0 चावल को जप्त कर जिम्मेनामा पर ज0वि0प्र0 विक्रेता श्री चतुर्भुज सिंह, अनुज्ञप्ति सं0–58/2016, पंचायत–महम्मदाबाद, प्रखंड–भगवानपुर को दिया जाना था। परंतु ज0वि0प्र0 विक्रेता के परिजनों के उकसाने पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं दुर्व्यवहार करने एवं दवाब दिए जाने के कारण अपनी जान की रक्षा के लिए इसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री जगदीश प्रसाद सिंह, अनुज्ञप्ति सं0–56/2016, पंचायत–मझौली महम्मदपुर बुजुर्ग, प्रखंड–भगवानपुर की जिम्मेनामा पर दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, भगवानपुर के ज्ञापांक 932 दिनांक 24.11.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से श्री राय की अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए उक्त अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर अनुमंडल पदाधिकारी

WEB COPY NOT OFFICIAL

के ज्ञापांक 360 दिनांक 05.07.2019 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गई। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 5034/2019 सकिन्द्र राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 02.08.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री राय की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से पुर्नजीवित की गई तथा प्राथमिकी तथा जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री राय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री राय द्वारा दिनांक 11.07.2020 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसे असंतोषप्रद पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर के ज्ञापांक 598 दिनांक 26.11.2020 द्वारा श्री राय की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी।

श्री राय ज0वि0प्र0 विक्रेता द्वारा समाहर्त्ता, वैशाली के न्यायालय में पी0डी0एस0 अपील वाद सं0–06/2020–21 दायर की गयी। समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर के आदेश को संपूष्ट करते हुए श्री राय के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 28.09.2018 को जाँच की गई। पुनरीक्षणकर्ता दिनांक 28.09.2018 को दुकान बंद कर किरासन तेल का मासिक कोटा लेने भगवानपुर गया था, क्योंकि सितम्बर माह में किरासन लेने का मासिक तिथि दिनांक 28.09.2018 निर्धारित था। पुनरीक्षणकर्ता के पास ही दुकान का चाबी था।

(ii) विक्रेता के परिवार के सदस्यों द्वारा इस संबंध में अवगत कराने के बावजूद जाँच दल द्वारा दुकान का ताला तोड़ दिया गया, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिका वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' में निहीत प्रावधान का उल्लंघन है।

(iii) जाँचदल द्वारा स्टॉक में रखे गये अनाज को जब्त कर लिया गया।

(iv) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली द्वारा स्टॉक पंजी, वितरण पंजी आदि बिना जब्ती पंजी में अंकित किये जब्त

WEB COPY NOT OFFICIAL

कर लिया गया।

(v) किरासन तेल के कालाबाजारी का आरोप गलत एवं मनगढ़ंत है।

(vi) विक्रेता के विरूद्ध किसी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया है। विक्रेता को कभी भी कालाबाजारी में संलिप्त नहीं पाया गया है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त होने लायक है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है इनके द्वारा किरासन तेल की तीन–तीन वितरण पंजी रखने का प्रमाणित आरोप है, जिसके द्वारा किरासन तेल की कालाबाजारी की जाती थी। इनके पास से 7 उपभोक्ताओं का राशन कार्ड पाया गया है, जो इनके गलत मंशा को दर्शाता है। जाँच दल के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार एवं जाँच में रूकावट डालना नियम विरूद्ध है। अतएव श्री राय (विक्रेता) के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विक्रेता के दुकान की जाँच में पायी गयी अनियमितता के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 932 दिनांक 24.11.2018 द्वारा विक्रेता को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 5034/2019 में दिनांक 02.08.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री राय की अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित की गई तथा प्राथमिकी एवं जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, वैशाली द्वारा आदेश पारित किया गया। विक्रेता द्वारा दायर अपीलवाद पर समाहर्त्ता द्वारा विक्रेता को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदाने करते हुए मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि

WEB COPY NOT OFFICIAL

जाँच की तिथि दिनांक 28.09.2018 को पुनरीक्षणकर्ता दुकान बंद कर किरासन तेल का कोटा लेने भगवानपुर गया था के संबंध में कहना है कि ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'' की कंडिका 14 (xii) में अंकित है कि ***''अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूची–09 में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान के कारोबार में सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते हैं।''*** किसी भी स्थिति में निर्धारित समयावधि के दौरान दुकान बंद नहीं रखना है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

विक्रेता पर बिना किसी सक्षम प्राधिकार से सत्यापन कराये किरासन तेल की तीन–तीन पंजी रखने, सात उपभोक्ताओं के राशन कार्ड अपने पास रखने एवं जाँच में रूकावट पैदा करने का प्रमाणित आरोप है। जो **''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016''** की कंडिका 14 (xiv), 31 (ख) एवं 25 (क, ड़) का उल्लंघन है। इस प्रकार समाहर्त्ता, वैशाली एवं अनुमंडल पदाधिकारी, वैशाली द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए श्री राय के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL